क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं0 – 50/2014–15

विनती देवी – आवेदक।

–बनाम–

राज्य एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड वैग0 – विपक्षी।

आदेश

31
27.1.18

अवेदक विनती देवी पति स्व0 हेमन्त प्रमाणिक निवासी – चौकाहातु, थाना सोनाहातु, जिला रॉची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, श्री रामनाथ चौबे पिता स्व0 एस0 एन0 चौबे एवं राजीव कुमार गुप्ता पिता स्व0 श्रीचन्द्र गुप्ता एवं नवीन कुमार औझा पिता स्व0 शैलेन्द्र कुमार औझा एवं श्री बसवराज दलगडे पिता स्व0 महादेवप्पा दलगडे, बी0 – 236, भूतल, रोड सं0 03, अशोक नगर, जिला रॉची के साथ निम्नलिखित भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

ग्राम	थाना सं0	खेवट सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़)
बुरूहातु	19		351	1448	0.22
				कुल रकबा –	0.22 एकड़

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आवेदन पत्र की जॉच भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले मे भुमि सुधर उप–समाहर्त्ता बुण्डू, रॉची ने पत्रांक 208 दिनांक 01.08.2017 माध्यम से ॲचलाधिकारी सोनाहातु, रॉची द्वारा अग्रसारित जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है।